

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन/लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं बिहार निःशक्तता पेंशन के निमित्त विहित आवेदन प्रपत्र  
(दो प्रतियों में)

पेंशन योजना का नाम : .....

1. आवेदक का नाम .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. पूरा पता- ग्राम/मुहल्ला.....पंचायत/ नगर वार्ड.....

डाकघर.....प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत.....

थाना.....अनुमण्डल.....ज़िला.....

4. कोटि :- अनु० जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/सामान्य .....

5. आवेदक का पहचान चिन्ह .....

6. पेशन अर्हता संबंधी सूचना :-

(क) आयु (आवेदन पत्र के दिन)-

(ख) आय- 1. बी.पी.एल. का क्रमांक.....प्राप्तांक.....

2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं)

(ग) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत-

7. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि -

(i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।

(ii) मैं वृद्ध/विधवा/विकलांग हूँ।

(iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।

(iv) मैं (नाम) ..... ज़िला..... बिहार राज्य का/की निवासी/  
अधिवासी हूँ।

(v) मुझे ..... ग्राम पंचायत के अधीन..... से  
पेंशन भुगतान किया जाय।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई व्योरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में  
भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

तिथि :-

आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

नोट :- (बिहार विकलांगता पेंशन योजना को छोड़कर अन्य योजनाओं के लिए यदि आयु का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, तो उसकी  
प्रति संलग्न करें। यदि उपलब्ध नहीं है तो पारिवारिक सूची/निर्वाचक सूची में अभिलिखित उम्र भी स्वीकार होगा या ग्राम  
सभा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित आयु का प्रमाण संलग्न करें।

स्वीकृत / अस्वीकृत

अनुमण्डल पदाधिकारी

भभुआ